संख्या-N·B·631 / 58–2014–150 / 2012

प्रेषक,

अमरनाथ उपध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ दिनांकः 23 सितम्बर, 2014

विषयः **''नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय में अनुदान संख्या–11 के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि रू0 48053 हजार के व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 190 / बजट आयोजनागत / 2014–15 दिनांक 19.9.2014 के संदर्भ में शासनादेश संख्या एन.बी. 575 / 58–2014–150 / 2012 दिनांक 16.9.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में बनी तालिका में उल्लिखित मुख्य लेखाशीर्षक ''2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत'' त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है । अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में बनी तालिका में उल्लिखित मुख्य लेखाशीर्षक **''2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत''** को निम्नवत पढ़ा जायेः–

''2402–मृदा तथा जल संरक्षण–'आयोजनागत''

2– तदनुसार उक्त शासनादेश एन.बी. 575 / 58–2014–150 / 2012 दिनांक 16.9.2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष अंश यथावत रहेगा।

कृपया तदनुसार यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-N·B·631 (1) / 58–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, लेखा प्रथम / आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(4) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(5) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–1
(6) कृषि अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
✓(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

23/9/14

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।